न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 198/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00264)

हरभजन पुत्र रामचन्द्र, जाति गुर्जर, निवासी राणोली उप तहसील बहरावण्डा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 29.11.2019 जो अपील संख्या 02/2019 उनवानी हरभजन बनाम राजस्थान सरकार पर पारित किया गया गया।

उपस्थित :–

1. श्री उमेश कुमार गौड, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक–28.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 29.11.2019 के विरूद्ध दिनांक 07.01.2020 को पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, बहरावण्डा जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 10.09.2018 द्वारा ग्राम राणोली,उप तहसील बहरावण्डा, तहसील सिकराय की आराजी भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 2.05 है0 में से 0.15 है0 किस्म चारागाह पर संवत 2075 में 0.04 है0 पर आवास व बाड़ा बनाकर, 0.06 है0 पर बाजरा, 0.05 है0 पर छोटे पेड़ आंवला लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल किये जाने, पैनल्टी एवं एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2019 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. उप तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 29.11.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा दिनांक 10.09.2018 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 29.11.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय द्वारा पटवारी हल्का राणोली द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 91 राज0भू0राज0 अधिनियम बाबत आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 15 एयर चरागाह पर अतिक्रमण मानकर अपीलान्ट को 30 दिन के सिविल कारावास एवम 68/रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर उप तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.09.2018 की पुष्टि फरमाने विधिक एवं न्यायिक त्रुटि की है। अधीनस्थ उप तहसीलदार बहरावडा में अपीलांट ने उपस्थित होकर आराजी खसरा नम्बर 157 पर लगाये पेड आंवला व फसल बाजरा को नष्ट कर भूमि अतिक्रमण मुक्त करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था इसके बावजूद उप तहसील द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है जिसे निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए उप तहसीलदार के आदेश की पुष्टि कर तथ्यात्मक भूल की है। उप तहसीलदार की पत्रावली में अपीलांट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में पटवारी हल्का या अन्य किसी साक्ष्य के अभाव में सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है जबकि पूर्व में अतिक्रमण के सम्बन्ध में पत्रावली में कोई साक्ष्य शामिल नहीं। धारा 91 पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने पर ही दण्डित किया जा सकता है। अधीनस्थ अपील न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं होने के बावजूद उप तहसीलदार के आदेश की पुष्टि फरमाकर इंसाफन व कानूनन गलती की है। अपीलांट गरीब ग्रामीण काश्त कार व्यक्ति है अपीलांट ने 15 एयर भूमि पर किये अतिक्रमण को हटाकर भूमि अतिक्रमण मुक्त कर दी है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकरअधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 29.11.2019 व उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 को निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम राणोली में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 2.05 है0 में से 0.15 है0 किस्म चारागाह पर संवत 2075 में 0.04 है0 पर आवास व बाड़ा बनाकर, 0.06 है0 पर बाजरा, 0.05 है0 पर छोटे पेड़ आंवला लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 के द्वारा बेदखल एवं पैनल्टी कायम करने साथ ही एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्ट ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटा लिये जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने उप तहसीलदार बहरावण्डा से वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट प्राप्त की। उप तहसीलदार बहरावण्डा से वर्तमान स्थिति की जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके अनुसार अतिक्रमी हरभजन पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी राणोली के द्वारा आराजी खसरा नं. 157 रकबा 0.15 है0 भूमि में निर्मित पुख्ता आवास व आबादी के अलावा अन्य अतिक्रमण को हटा लिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सम्पूर्ण अतिक्रमण नही हटाया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई/जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 29.11.2019 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का राणोली द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में अपीलान्ट ने ग्राम राणोली में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 2.05 है0 में से 0.15 है0 किस्म चारागाह पर संवत 2075 में 0.04 है0 पर आवास व बाड़ा बनाकर, 0.06 है0 पर बाजरा, 0.05 है0 पर छोटे पेड़ आंवला लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांटस को नोटिस तामील होने के उपरांत अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2018 को उपस्थित हुये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने उप तहसीलदार बहरावण्डा से मौके पर अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में पुनः जांच

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

कराई गई। उप तहसीलदार से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी हरभजन पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी राणोली के द्वारा आराजी खसरा नं. 157 रकबा 0.15 है0 भूमि में निर्मित पुख्ता आवास व आबादी के अलावा अन्य अतिक्रमण को हटा लिया गया है। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा सम्पूर्ण अतिक्रमण नहीं हटाया है। अभी भी अपीलान्ट का अतिक्रमण मौजूद है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है कि अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानून राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्ट को बेदखल करने के पश्चात् भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वह अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अपीलार्थी राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2019 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर